# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 96 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015 | 09.10.2015 | 06.07.2023 |

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ............आवेदक

बनाम

1–श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट राहोली तह. निवाई जिला टोंक मैसर्स भवानी शंककर सीताराम सीनियर स्कूल के सामने राहोली तह. निवाई जिला टोंक
2–मैसर्स भवानी शंकर सीताराम सीनियर स्कूल के सामने राहोली तह. निवाई जिला टोंक
3–श्री दिलीप कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन निवासी मोहल्ला गुजरान महलों के नीचे निवाई जिला टोंक प्रो. मैसर्स गप्पूलाल महेन्द्र कुमार सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक
4–मैसर्स गप्पूलाल महेन्द्र कुमार सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक
5–श्री शशिकान्त टोडवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार टोडवाल निवासी 24 बडा बांस निवाई नॉमिनी मैसर्स टोडवाल एन्टरप्राईजेज निवाई झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
6–मैसर्स टोडवाल एन्टरप्राईजेज निवाई झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
7–श्री सुबह्यण्यम नटराज पुत्र श्री नीलकंठ सुबह्यण्यम निवासी 301 एम्ब्रोसिया बिल्डिंग पवाई मुम्बई महाराष्ट्र डायरेक्टर मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लि. एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी
8–श्री समीर प्रेमपाल जैन पुत्र श्री प्रेमपाल पृथ्वीराज जैन निवासी 701 द्वितीय टावर प्लानेट गोदरेज महालक्ष्मी केशवराव खडे मार्ग मुम्बई महाराष्ट्र डायरेक्टर मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लि. एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी
9–श्री विपिन गुप्ता पुत्र श्री शिवचरण गुप्ता निवासी द्वारा एम.आर.एस.सी. पोद्धार 194 एस्कोर्ड हॉस्पीटल के पीछे सुखदेव विहार नई दिल्ली डायरेक्टर मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लि. एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी
10–मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लि. एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी
..............अप्रार्थीगण

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)**

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री राजकुमार माथुर एड.।

**दिनांक 06.07.2023**

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.07.2015 को समय 04:00 पी.एम पर मैसर्स भवानी शंकर सीताराम सीनियर स्कूल के सामने राहोली तह. निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सीताराम शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान में कागज के कार्टूनों में लगभग 20 बोतल **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सीताराम शर्मा को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर बीएनसी 060615 बी एवं पैकिंग की दिनांक दिन 2015 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1 लीटर की चार बोतल खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** के 1–1 बोतल वाले चार भाग भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1049 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1049 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स
गप्पूलाल महेन्द्र कुमार सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य
पदार्थ क्रय करना बताया। मैसर्स गप्पूलाल महेन्द्र कुमार सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक
से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स
टोडवाल एन्टरप्राईजेज निवाई झिलाई रोड निवाई जिला टोंक का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य
पदार्थ क्रय करना बताया। तथा इस फर्म ने मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लि. एन एच 12 रामगंज
बालाजी जिला बून्दी का वारन्टी बिल पेश कर इसे इस खाद्य पदार्थ का निर्माता होना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/3030 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./518/एक्ट/2015/518 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं. 3 व 4 की ओर से दिनांक 12.12.2022 को उनके अभिभाषक श्री तेजमल जैन ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकार किया एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर शास्ति रूपये 5000/-(अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की गई। आज शेष अप्रार्थीगणों की ओर से उनके अभिभाषक राजकुमार माथुर उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 3 व 4 को छोडकर शेष अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/-(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-[redacted]0